| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 22-5-26 | पत्रावली पेश हुई दावा वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>करौली (राज०) | |

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

## उनवान

मंदिर श्री गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मण्डी करौली व अहतमाम पंच अग्रवालान कस्बा करौली जरिये प्रबंधक एवं नेक्स्ट फ्रैण्ड (जमीन) विनोद कुमार उम्र 53 साल पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, पीतम चंद गुप्ता उम्र 70 साल पुत्र श्री सूकालाल गुप्ता, दिनेश चंद गुप्ता उम्र 65 साल पुत्र श्री रामविलास गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता उम्र 53 साल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, महेन्द्र सिंघल उम्र 55 साल पुत्र श्री सूरजभान सिंघल रागी जाति महाजन (अग्रवाल) निवासी करौली

–वादी

## बनाम

1. छोटेलाल पुत्र रसूली जाति मुसलमान निवासी करौली
2. कुदुस पुत्र रसूली **(फौत)**
   2/1. इकरम पुत्र कुदुस
   2/2. निजामुद्दीन पुत्र कुदुस
   2/3. असलम पुत्र कुदुस
   सभी जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली
3. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली
4. हरी पुत्र बुद्धु
5. प्रहलाद पुत्र बुद्धु
   सभी जाति माली निवासी पांडे का कुंआ करौली

–प्रतिवादीगण

## दावा घोषणा व खातेदारी व दखल व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 13/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ..... एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू श्री गोविन्द करौली ..... एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 204, 205, 213, 216 लगायत 223 व खसरा नंवर 410, 412 कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा एवं खसरा नंबर 202, 203, 207 लगायत 212, 214, 215, 224 कुल किता 11 कुल रकवा 5 वीघा 11 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रतिवादी नंबर 3 तहसीलदार, करौली को दिये जाते है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण नहीं करे एवं आराजी की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज वगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22-5-26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

| मुदई | रूपया | पैसे | मुददायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प बजह सबूत | | | महन्ताना अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

## पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–13/19 तारीख रजु:–26.03.2019

**उनवान**

मंदिर श्री गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मण्डी करौली व अहतमाम पंच अग्रवालान कस्बा करौली जरिये प्रबंधक एवं नेक्स्ट फ्रैण्ड (जमीन) विनोद कुमार उम्र 53 साल पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता, पीतम चंद गुप्ता उम्र 70 साल पुत्र श्री सूकालाल गुप्ता, दिनेश चंद गुप्ता उम्र 65 साल पुत्र श्री रामविलास गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता उम्र 53 साल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, महेन्द्र सिंघल उम्र 55 साल पुत्र श्री सूरजभान सिंहल सभी जाति महाजन (अग्रवाल) निवासी करौली –वादी

**बनाम**

1. छोटेलाल पुत्र रसूली जाति मुसलमान निवासी करौली
2. कुदुस पुत्र रसूली **(फौत)**
   2/1. इकरम पुत्र कुदुस
   2/2. निजामुद्दीन पुत्र कुदुस
   2/3. असलम पुत्र कुदुस
   सभी जाति मुसलमान निवासी बजीरपुर गेट बाहर करौली
3. लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील करौली
4. हरी पुत्र बुद्धु
5. प्रहलाद पुत्र बुद्धु
   सभी जाति माली निवासी पांडे का कुंआ करौली

–प्रतिवादीगण

**दावा घोषणा व खातेदारी व दखल व स्थाई निषेधाज्ञा**

**–::निर्णय::–** दिनांक :– 22.5.26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ठाकुरजी गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मंडी करौली शाश्वत नाबालिग है वादी मंदिर गोविन्द देवजी के प्रबंधक है और मंदिर के हित में काश्ता जमीन के संचालन व्यवस्था व सुरक्षा व वाद पत्र प्रस्तुत करने व कानूनी कार्यवाही करने को पंच अग्रवालान करौली की ओर से अधिकृत है। आराजीयात खसरा नंबर 204 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 205 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 216 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 217 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

218 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 219 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 220 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 221 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 222 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 223 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 410 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 412 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राज है व खसरा नंबर 202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 203 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 207 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 209 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 210 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 211 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 212 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 215 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 224 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 2 के खाते में गलत इन्द्राज है कुल किता 24 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 9 वादी की माफी व खुद काश्त की जमीन है और माफी जब्त सरकार होने पर उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार वादी रहा है। वक्त सेंटलमेंट से पूर्व इन आराजीयात के साबिक नंबर 234 मी, 46 मी, 225 मी, 226 मी, 227 मी, 227 मी, 228, 229, 234 मी, 235 मी, 233, 230 मी, 231, 232, 230 मी, 230 मी, 230 मी, 234 मी, 235 मी, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 241 मी, 241 मी, 234 मी, 391, 393 है। जिसकी नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल संवत 2010–13 की सत्य प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत है। प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 2 वादी ठाकुरजी की ओर से साल दर साल लगान देकर काश्त करता रहा है। वक्त सेंटलमेंट किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवादी नंबर 1 ने सेंटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर बिना आधार अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली और गलत खातेदार के आधार पर वादी के खातेदारी अधिकार से माह 95 मार्च में इन्कार हो गये वादी को नकल जमाबंदी लेने पर जानकारी हुई है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के हक में हुई खातेदारी इन्द्राज वादी के हकूकों पर बेअसर है। प्रतिवादी नंबर 1 के हक में हुई खातेदारी इन्द्राज वादी के हकूकों पर बेअसर है व प्रभावहीन है मंदिर की भूमि पर प्रतिवादीगण को कानूनन कोई खातेदारी अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्राप्त नहीं होते है प्रतिवादीगण के हक में कोई विधिवत हस्तान्तरण प्रतिवादीगण के हक में वादी द्वारा नहीं किया गया है और न ही कानूनन हो सकता है प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने उसके हक में हुये गलत खातेदारी इन्द्राज के सबब हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य है। सेंटलमेंट रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज वहक प्रतिवादी नंवर 1 व 2 मौजूदा जमाबंदी में किये इन्द्राज हकूक वादी पर बेअसर है वादी उक्त आराजीयात का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने व वादी के हक में रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज कराने का कानूनन अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात का दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर रेन्ट प्राप्त ट्रेस पासर है प्रतिवादी को आराजीयात पर कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी हक नहीं है न किसी प्रकार के हक प्रतिवादीगण को वादी मंदिर की आराजी पर कानून प्राप्त हो सकते है। प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 से कब्जा वादी को देने दिनांक 8.9.95 को कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गये और प्रतिवादी ने आराजीयात को हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया कहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर रिहायश भूखण्ड का इरादा बना रहे है व वृक्षों को काटने पर उतारू है निर्माणाधीन करने आमदा है प्रतिवादीगण अनुचित तौर पर आराजीयात की स्थिति को परिवर्तन करने पर उतारू है। वादी को आराजी के लाभ से वंचित कर रहा है और वादी को बेजा नुकसान पहुंचा रहा है। वादी शाश्वत नाबालिग है वादी की व्यवस्था व रागभोग व संचालन का कृषि ही जरिया है। इसलिये न्याय हित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथ वादी को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। विनाय मुखास्मत दावा दिनांक 8.9.95 को प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी से इंकार करने पर व कब्जा वादी को नहीं संभलवाने पर उत्पन्न हुई है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। काबिल समाअत अदालत हाजा है। वाद कारण अन्दर हदूद अदालत हाजा कस्बा करौली में स्थित है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 4 व 5 बावजूद तामील

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 1 व 2 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी ठाकुरजी मंदिर गोविन्ददेवजी विराजमान अनाज मंडी करौली स्थित होना सही है व स्वीकार है शेष इबारत स्वीकार नहीं है। मनोहरलाल पुत्र मुरारी लाल व नेमीचंद पुत्र त्रिलोकचंद का मंदिर का प्रबंधक होना तथा इनक ापंच अग्रवालों की ओर से अधिकृत होना गलत व अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी दर्ज वाद पत्र मद नंबर 2 का करौली में स्थित होना सही व स्वीकार है इस आराजी का गोविन्द देवजी की माफी व खुद काश्त की होना गलत है व अस्वीकार है। अन्य दर्ज तथ्य गलत है व अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने मंदिर की ओर से साल दर साल लगान देकर कभी वादग्रस्त जमीन को काश्त नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन को वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण ट्रेस पासर नहीं है बल्कि खातेदार टीनेन्ट है और प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर जायज कब्जा है। हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं हुई है। वादी को अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है। वादी मंदिर गोविन्द देवजी पंच अग्रवाल महाजनान का है और पंच अग्रवालान ही इस मंदिर के प्रबंधक होते है। शीर्षक में मनोहरलाल व नेमीचंद को प्रबंधक मंदिर होना गलत अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खातेदार शिब्बू पुत्र किशन माली व शिवलाल पुत्र शंकर माली थे जो अपने पूर्वजों के जमाने से वादग्रस्त आराजी को काश्त करते रहे व काबिज रह कर काश्ता फसल से लाभ उठाते रहे। दिनांक 18.6.69 को शिवलाल ने वादग्रस्त आराजी के स्वंय के हिस्से के खातेदारी अधिकार को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बुद्व पुत्र किशन माली निवासी करौली के हक में मुन्तकिल कर कब्जा भी सौंप दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के वाद से वादग्रस्त आराजी को शिब्बू के साथ–साथ बुद्व भी काश्त करता व फसल काश्त से लाभ उठाता रहा। बुद्व पुत्र किशन माली निवासी करौली ने वादग्रस्त आराजी में प्राप्त अपने खातेदारी अधिकारों को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.2.74 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में मुन्तकिल कर दिया व आराजीयात वयशुदा पर कब्जा सौंप दिया इसके पश्चात खातेदार शिब्बू की मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

फलस्वरूप आराजीयात का नामान्तरण कलुआ व हाबू पिसरान शिब्बू के नाम हिस्सा बराबर–बराबर कायम किया गया। हाबू ने वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से खातेदारी अधिकारों को प्रतिवादी नंबर 2 के हक में वय करना तय कर लिया। इकरारनामा तहरीर करने के बाद हाबू का स्वर्गवास हो गया तथा नाऔलाद होने के कारण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में हाबू के स्थान पर कलुआ पुत्र शिब्बू के नाम के इन्द्राजात नामान्तरण स्वीकृत फरमाये जा कर किये गये। कलुआ ने वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 204, 205, 213, 216, 217 लगायत 223, 410 व 412 में अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 20.3.87 प्रति वादी संख्या को वय कर दिया तथा अराजीयात खसरा नंबर 202, 203, 207 लगायत 212, 214, 215, 224 में अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20.3.87 प्रतिवादी संख्या 2 के हक में वय कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से विक्रय पत्रों की प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजीयात वय शुदा पर कब्जा सौप दिया इस प्रकार प्रतिवादीगण वक्त खरीद से आराजीयात मुतनाजा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार वक्त खरीद प्रति वर्ष काश्त करते व लगान सरकार में जमा कराते तथा काश्त फसल से लाभ उठाते चले आ रहे है। वादी आज तक वाद ग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही वाग्रस्त आराजी कभी मंदिर की खुद काश्त की रही ना ही प्रतिवादीगण ने मंदिर से इस वादग्रस्त आराजी को सालाना भेज पर लिया ना कभी मंदिर को भेज अदा की, सारी कहान वादी ने गलत महज आधार मुकदमा करने के लिए तैयार की है। उक्त आराजीयात के संबंध में सन् 1969 च 1987 के बेचान के वाद किये गये नामान्तरणों की आज तक कोई अपीले नहीं की गई है। उक्त समस्त आदेश नामान्तरण पक्षकारों के मध्य अंतिम है जिनके स्टैण्ड करते हुई वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी मंदिर अथवा प्रबंधकों का वादग्रस्त आराजी पर तीसीयों सालों के भीतर कभी कब्जा नहीं रहा तथा वादग्रस्त आराजी का खाता पहले साबित खातेदार के नाम होना तथा खरीद के बाद से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होना वादी की जानकारी में सदैव से रहा है। व इस दरम्यान पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप वादी जब कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी को यदि कोई अधिकार खातेदारी भी प्राप्त थे तो वह धारा 63 (4) रा.टी. एक्ट के प्रावधानों के अधीन समाप्त हो चुके है। इस कारण भी दावा मेनटेवल नहीं है व मियाद बहार भी होने के सबब खारिज किये जाने योग्य है। अदालत हाजा को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 18.6.69, 11.2.74, 20.3.87 को किये गये वयनामों को कैसिंल कराने बाबत घोषणा का दादरसी प्राप्त किये वगै0 दावा काबिज रफ्तार नहीं है। कलुआ पुत्र शिब्बू, शिवलाल पुत्र शंकर, बुद्धु पुत्र किशन को पक्षकार नाये गवै0 दावा चलने योग्य नहीं है तथा नान जोइन्डर ऑफ पार्टीज की बिना पर दावा खारिज होने योग्य है। वादी मंदिर की करौली व करौली से बाहर काफी लम्बी चौडी जायदाद है कई दुकान मुख्य बाजार करौली मं है। इस कुल जायदाद की कीमत 15–20 लाख रूपये से किसी कद कम नहीं है। जिसका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वार्ड है तथा ट्रस्टीज को ही दायरी दावा का हक प्राप्त है ऐसी सूरत में भी यदि दावा ठाकुरजी की ओर से माना जावे तो भी चलने योग्य नहीं है। आल्टरनेटिव भी उक्त उक्त वर्जित विक्रय पत्रों के जरिये प्रतिवादीगण को खातेदार ना माने जाने की सूरत में साबित खातेदारान व उसके वीहाप पर प्रति. का भी वादग्रस्त आराजी पर 11.2.74 व उसके पूर्व खुले रूप में बेरोक टोक शांतिपूर्वक एक्सक्लूसिवली आपेनली होस्टायल कब्जा चला आ रहा है व प्रति. काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण भी दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के बाबत प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.2.74 के वयनामे की प्रतिफल राशि 7500 रूपये तथा दिनांक 20.3.87 के वयनामों की प्रतिफल राश्श 49000/– रू.49000/– रू साबित खातेदारानों अदा की है तथा 50–60 हजार रू. लगाकर व जिस्मानी मेहनत कर इस हम वार करबा कर व काबिज काश्त बनाया है। प्रतिवादी सद्भाविक केता है। अतः प्रतिवादीगण विकल्प में यह भी अभिवचन ले रहे है कि यदि दावा घोषणा योग्य माना जावे प्रतिवादी उक्त राशि को पाने के अधिकारी है। प्रकरण में तहसीलदार को पक्षकार बनाया है जबकि ना तो पूर्व में नोटिस दिया है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

ना ही धारा 80 (2) सीपीसी के अधीन न्यायालय की इजाजत ली गई है फलस्वरूप दावा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:—

1. आया विवादित आराजीयात वादी के खातेदारी व काश्तकारी की है। ——वादी
2. आया वादी आराजीयात मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का प्राधिकारी है। ——वादी
3. आया वादी प्रतिवादीगण से दखल प्राप्त करने का प्राधिकारी है। ——वादी
4. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद कराने का प्राधिकारी है। ——वादी
5. आया मुताबिक जबावदावा पैरा नंबर 12 वादी कोई अनुतोष पाने का प्राधिकारी नहीं है। ——प्रतिवादी
6. आया जबाव दावा पैरा नंबर 13 धारा 63 (4) आर टी एक्ट के अनुसार दावा मेंनटेबल नहीं है और म्याद बाहर है। ——प्रतिवादी
7. आया जबाव दावा पैरा नंबर 14 के अनुसार अदालत हाजा को इस वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ——प्रतिवादी
8. आया जबाव दावा पैरा नंबर 15 के अनुसार कलुवा पुत्र शिब्बू, शिवलाल पुत्र शंकर, बुद्दु पुत्र किशन आवश्यक पक्षकार है। ——प्रतिवादी
9. आया जबाव दावा पैरा नबर 16 दावा वगैर पंजीयन राज. पब्लिक ट्रस्ट में वार्ड है। दावा ठाकुरजी की तरफ से माना जावे तो भी चलने योग्य नहीं है। ——प्रतिवादी
10. आया जबाव दावा पैरा नंबर 17 के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा ''ऐसक्ल्यूसिवली ओपन होस्टाईल'' है। ——प्रतिवादी
11. आया तहसीलदार कबिना दफा 80 (2) सीपीसी के नोटिस के व कोर्ट की स्वीकृति के बिना चलने योग्य नहीं है। ——प्रतिवादी
12. आया प्रतिवादी मुताबिक जबाव दावा पैरा नंबर 18 के अनुसार वयनामा की राशि वादी से प्राप्त करने का प्राधिकारी है। ——प्रतिवादी

13. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी मनोहरलाल पीडब्ल्यू—1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2010—13 प्रदर्श—1, मिलान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श 3 व 4 को प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्यवादी समाप्त की जाकर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 छोटेलाल के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श ए–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–2, नकल खसरा टीप प्रदर्श ए–3 लगायत ए–8, नकल जमाबंदी संवत 2041–42 प्रदर्श ए–9, नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श ए–10 व ए–11, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–12, नकल प्रतिलिपी वयनामा प्रदर्श ए–13, मूल वयनामा वहक छोटेलाल प्रदर्श ए–14 व ए–15 को पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस व लिखित बहस पेश कर कथन है कि वादी ठाकुरजी गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मंडी करौली शाश्वत नाबालिग है वादी मंदिर गोविन्द देवजी के प्रबंधक है और मंदिर के हित में काश्ता जमीन के संचालन व्यवस्था व सुरक्षा व वाद पत्र प्रस्तुत करने व कानूनी कार्यवाही करने को पंच अग्रवालान करौली की ओर से अधिकृत है। आराजीयात खसरा नंबर 204 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 205 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 213 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 216 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 217 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 218 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 219 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 220 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 221 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 222 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 223 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 410 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 412 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 के नाम गलत इन्द्राज है व खसरा नंबर 202 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 203 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 207 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 208 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 209 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 210 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 211

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 212 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 214 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 215 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 224 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी नंबर 2 के खाते में गलत इन्द्राज है कुल किता 24 कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा स्थित कस्बा करौली पटवार हल्का 9 वादी की माफी व खुद काश्त की जमीन है और माफी जब्त सरकार होने पर उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार वादी रहा है। वक्त सेंटलमेंट से पूर्व इन आराजीयात के साबिक नंबर 234 मी, 46 मी, 225 मी, 226 मी, 227 मी, 227 मी, 228, 229, 234 मी, 235 मी, 233, 230 मी, 231, 232, 230 मी, 230 मी, 230 मी, 234 मी, 235 मी, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 241 मी, 241 मी, 234 मी, 391, 393 है। जिसकी नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल संवत 2010–13 की सत्य प्रतिलिपि साथ प्रस्तुत है। प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 2 वादी ठाकुरजी की ओर से साल दर साल लगान देकर काश्त करता रहा है। वक्त सेंटलमेंट किसी कानूनी अधिकार के प्रतिवादी नंबर 1 ने सेंटलमेंट कर्मचारियों से मिलकर बिना आधार अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली और गलत खातेदार के आधार पर वादी के खातेदारी अधिकार से माह 95 मार्च में इन्कार हो गये वादी को नकल जमाबंदी लेने पर जानकारी हुई है। प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के हक में हुई खातेदारी इन्द्राज वादी के हकूकों पर बेअसर है। प्रतिवादी नंबर 1 के हक में हुई खातेदारी इन्द्राज वादी के हकूकों पर बेअसर है व प्रभावहीन है मंदिर की भूमि पर प्रतिवादीगण को कानूनन कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है प्रतिवादीगण के हक में कोई विधिवत हस्तान्तरण प्रतिवादीगण के हक में वादी द्वारा नहीं किया गया है और न ही कानूनन हो सकता है प्रतिवादी नंबर 1 व 2 ने उसके हक में हुये गलत खातेदारी इन्द्राज के सबब हकूक वादी पर प्रभावहीन व शून्य है। सेंटलमेंट रिकॉर्ड में किये गये इन्द्राज वहक प्रतिवादी नंबर 1 व 2 मौजूदा जमाबंदी में किये इन्द्राज हकूक वादी पर बेअसर है वादी उक्त आराजीयात का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने व वादी के हक में रेवेन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज कराने का कानूनन अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण से उक्त आराजीयात का दखल प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

करने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर रेन्ट प्राप्त ट्रेस पासर है प्रतिवादी को आराजीयात पर कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी हक नहीं है न किसी प्रकार के हक प्रतिवादीगण को वादी मंदिर की आराजी पर कानून प्राप्त हो सकते है। प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 से कब्जा वादी को देने दिनांक 8.9.95 को कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गये और प्रतिवादी ने आराजीयात को हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया कहा है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर रिहायश भूखण्ड का इरादा बना रहे है व वृक्षों को काटने पर उतारू है निर्माणाधीन करने आमदा है प्रतिवादीगण अनुचित तौर पर आराजीयात की स्थिति को परिवर्तन करने पर उतारू है। वादी को आराजी के लाभ से वंचित कर रहा है और वादी को बेजा नुकसान पहुंचा रहा है। वादी शाश्वत नाबालिग है वादी की व्यवस्था व रागभोग व संचालन का कृषि ही जरिया है। इसलिये न्याय हित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है अन्यथ वादी को अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। विनाय मुखास्मत दावा दिनांक 8.9.95 को प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी से इंकार करने पर व कब्जा वादी को नहीं संभलवाने पर उत्पन्न हुई है। दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। काबिल समाअत अदालत हाजा है। वाद कारण अन्दर हदूद अदालत हाजा कस्बा करौली में स्थित है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि वादी ठाकुरजी मंदिर गोविन्ददेवजी विराजमान अनाज मंडी करौली स्थित होना सही है व स्वीकार है शेष इबारत स्वीकार नहीं है। मनोहरलाल पुत्र मुरारी लाल व नेमीचंद पुत्र त्रिलोकचंद का मंदिर का प्रबंधक होना तथा इनक पंच अग्रवालों की ओर से अधिकृत होना गलत व अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी दर्ज वाद पत्र मद नंबर 2 का करौली में स्थित होना सही व स्वीकार है इस आराजी का गोविन्द देवजी की माफी व खुद काश्त की होना गलत है व अस्वीकार है। अन्य दर्ज तथ्य गलत है व अस्वीकार है। प्रतिवादीगण ने मंदिर की ओर से साल दर साल लगान देकर कभी वादग्रस्त जमीन को काश्त नहीं किया बल्कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन को वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करता आ रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण ट्रेस पासर नहीं है बल्कि खातेदार टीनेन्ट है और प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर जायज कब्जा है। हम प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं हुई है। वादी को अनुतोष पाने का अधिकार नहीं है। वादी मंदिर गोविन्द देवजी पंच अग्रवाल महाजनान का है और पंच अग्रवालान ही इस मंदिर के प्रबंधक होते है। शीर्षक में मनोहरलाल व नेमीचंद को प्रबंधक मंदिर होना गलत अंकित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खातेदार शिब्बू पुत्र किशन माली व शिवलाल पुत्र शंकर माली थे जो अपने पूर्वजों के जमाने से वादग्रस्त आराजी को काश्त करते रहे व काबिज रह कर काश्ता फसल से लाभ उठाते रहे। दिनांक 18.6.69 को शिवलाल ने वादग्रस्त आराजी के स्वंय के हिस्से के खातेदारी अधिकार को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बुद्व पुत्र किशन माली निवासी करौली के हक में मुन्तकिल कर कब्जा भी सौंप दिया तथा उक्त विक्रय पत्र के वाद से वादग्रस्त आराजी को शिब्बू के साथ–साथ बुद्व भी काश्त करता व फसल काश्त से लाभ उठाता रहा। बुद्व पुत्र किशन माली निवासी करौली ने वादग्रस्त आराजी में प्राप्त अपने खातेदारी अधिकारों को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.2.74 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में मुन्तकिल कर दिया व आराजीयात वयशुदा पर कब्जा सौंप दिया इसके पश्चात खातेदार शिब्बू की मृत्यु के फलस्वरूप आराजीयात का नामान्तरण कलुआ व हाबू पिसरान शिब्बू के नाम हिस्सा बराबर–बराबर कायम किया गया। हाबू ने वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से खातेदारी अधिकारों को प्रतिवादी नंबर 2 के हक में वय करना तय कर लिया। इकरारनामा तहरीर करने के बाद हाबू का स्वर्गवास हो गया तथा नाऔलाद होने के कारण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में हाबू के स्थान पर कलुआ पुत्र शिब्बू के नाम के इन्द्राजात नामान्तरण स्वीकृत फरमाये जा कर किये गये। कलुआ ने वादग्रस्त आराजीयात में से खसरा नंबर 204, 205, 213, 216, 217 लगायत 223, 410 व 412 में अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा 20.3.87 प्रति वादी संख्या को वय कर दिया तथा अराजीयात खसरा नंबर 202, 203, 207 लगायत 212, 214, 215, 224 में अपने संयुक्त खातेदारी अधिकारों को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक 20.3.87 प्रतिवादी संख्या 2 के हक में वय कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से विक्रय पत्रों की प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजीयात वय शुदा पर कब्जा सौप दिया इस प्रकार प्रतिवादीगण वक्त खरीद से आराजीयात मुतनाजा पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार वक्त खरीद प्रति वर्ष काश्त करते व लगान सरकार में जमा कराते तथा काश्त फसल से लाभ उठाते चले आ रहे है। वादी आज तक वाद ग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा ना ही वाग्रस्त आराजी कभी मंदिर की खुद काश्त की रही ना ही प्रतिवादीगण ने मंदिर से इस वादग्रस्त आराजी को सालाना भेज पर लिया ना कभी मंदिर को भेज अदा की, सारी कहान वादी ने गलत महज आधार मुकदमा करने के लिए तैयार की है। उक्त आराजीयात के संबंध में सन् 1969 च 1987 के बेचान के वाद किये गये नामान्तरणों की आज तक कोई अपीले नहीं की गई है। उक्त समस्त आदेश नामान्तरण पक्षकारों के मध्य अंतिम है जिनके स्टैण्ड करते हुई वादी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी मंदिर अथवा प्रबंधकों का वादग्रस्त आराजी पर तीसीयों सालों के भीतर कभी कब्जा नहीं रहा तथा वादग्रस्त आराजी का खाता पहले साबित खातेदार के नाम होना तथा खरीद के बाद से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होना वादी की जानकारी में सदैव से रहा है। व इस दरम्यान पूर्व में वादी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके फलस्वरूप वादी जब कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वादी को यदि कोई अधिकार खातेदारी भी प्राप्त थे तो वह धारा 63 (4) रा.टी. एक्ट के प्रावधानों के अधीन समाप्त हो चुके है। इस कारण भी दावा मेनटेबल नहीं है व मियाद बहार भी होने के सबब खारिज किये जाने योग्य है। अदालत हाजा को इस वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 18.6.69, 11.2.74, 20.3.87 को किये गये वयनामों को कैसिंल कराने बाबत घोषणा का दादरसी प्राप्त किये वगै0 दावा काबिज रफ्तार नहीं है। कलुआ पुत्र शिब्बू, शिवलाल पुत्र शंकर, बुद्दु पुत्र किशन को पक्षकार नाये गवै0 दावा चलने योग्य नहीं है तथा नान जोइन्डर ऑफ पार्टीज की बिना पर दावा खारिज होने योग्य है। वादी मंदिर की करौली व करौली से बाहर काफी लम्बी चौडी जायदाद है कई दुकान मुख्य बाजार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

करौली मं है। इस कुल जायदाद की कीमत 15–20 लाख रूपये से किसी कद कम नहीं है। जिसका पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में वार्ड है तथा ट्रस्टीज को ही दायरी दावा का हक प्राप्त है ऐसी सूरत में भी यदि दावा ठाकुरजी की ओर से माना जावे तो भी चलने योग्य नहीं है। आल्टरनेटिव भी उक्त उक्त वर्जित विक्रय पत्रों के जरिये प्रतिवादीगण को खातेदार ना माने जाने की सूरत में साबित खातेदारान व उसके वीहाप पर प्रति. का भी वादग्रस्त आराजी पर 11.2.74 व उसके पूर्व खुले रूप में बेरोक टोक शांतिपूर्वक एक्सक्लूसिवली आपेनली होस्टायल कब्जा चला आ रहा है व प्रति. काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण भी दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के बाबत प्रतिवादीगण ने दिनांक 11.2.74 के वयनामे की प्रतिफल राशि 7500 रूपये तथा दिनांक 20.3.87 के वयनामों की प्रतिफल राश्श 49000/– रू.49000/– रू साबित खातेदारानों अदा की है तथा 50–60 हजार रू. लगाकर व जिस्मानी मेहनत कर इस हम वार करबा कर व काबिज काश्त बनाया है। प्रतिवादी सद्भाविक क्रेता है। अतः प्रतिवादीगण विकल्प में यह भी अभिवचन ले रहे है कि यदि दावा घोषणा योग्य माना जावे प्रतिवादी उक्त राशि को पाने के अधिकारी है। प्रकरण में तहसीलदार को पक्षकार बनाया है जबकि ना तो पूर्व में नोटिस दिया है ना ही धारा 80 (2) सीपीसी के अधीन न्यायालय की इजाजत ली गई है फलस्वरूप दावा खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड दस्तावेज व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है जो निम्नानुसार है :–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 से प्रदर्श–1 पेश की है जिसमें भूमि वादी मंदिर ठाकुरजी मंदिर गोविन्द देवजी की खातेदारी में अंकित है एवं सेंटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श ए–1 में कॉलम नंबर 3 में ए से बी भाग में जमाबंदी संवत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2010–13 प्रदर्श–1 में दर्ज इन्द्राज की पुनरावर्ति की गई है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण ने संवत 2010–13 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रतिवादी छोटेलाल या उसके पिता प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 में भूमि वादी मंदिर की खातेदारी की होना एवं भूमि को प्रतिवादी नंबर 1 को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करना अपने बयानों में बताया है। भूमि पर प्रतिवादी नंबर 1 का ट्रेस पासर होना बताया है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से भूमि वादी मंदिर की खातेदारी काश्तकारी की होना साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित का भार भी वादी पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 संवत 2010–13 प्रस्तुत की है। जिसमें वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है और स्वंय काश्त करने में सक्षम नहीं है। ठाकुरजी की ओर से काश्त की जाती है। जिसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। सेंटलमेंट विभाग को वक्त सेंटलमेंट सेंटलमेंट से पूर्व खातेदारी इन्द्राज को बदलने का अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नहीं है। संवत 13 के बाद संवत 2015 में शिब्बू पुत्र किशन एवं शिवलाल पुत्र शंकर जाति माली के हक में हुए इन्द्राज एवं वयनामा प्रदर्श 14 व 15 वहक प्रतिवादी नंबर 1 हक हकूक वादी मंदिर पर प्रभावहीन है। वादी मंदिर भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नंबर 1 का कब्जा बतौर अतिक्रमी है। वादी मंदिर की भूमि है। प्रतिवादी नंबर 1 को अवैध हस्तान्तरण से कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादी नंबर 1 ने भूमि वादी मंदिर की खातेदारी की नहीं हो ऐसा कोई दस्तावेज संवत 2010–13 से पूर्व का पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। भूमि वादी मंदिर की खातेदारी की होना पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित की जाती है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। इस विवाद्यक के संबंध में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2010–13

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है। जिनसे भूमि वादी मंदिर के खातेदारी की होना एवं प्रतिवादी नंबर 1 का कब्जा मात्र अतिक्रमी के रूप में होना माना जावेगा क्योंकि वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है और वादी मंदिर भूमि में प्रतिवादी नंबर 1 को किसी प्रकार के हक हकूक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी मंदिर प्रतिवादी नंबर 1 से भूमि पर दखल प्राप्त करने का अधिकार है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने इस विवाद्यक के संबंध में विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन दर्ज दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिनसे भूमि वादी मंदिर की खातेदारी व कब्जे की होना साबित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा संवत 2010–13 से पूर्व का कोई राजस्व रिकॉर्ड स्वंय के खातेदारी की होने का प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि प्रतिवादी द्वार प्रस्तुत खसरा टीप संवत 2006–09 में भूमि महाजनान बशरह नंबर 114 दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि वादी मंदिर गोविन्द देवजी एतहमाम पंचमहाजनान के खातेदारी की होना प्रकट होता है। वादी मंदिर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से खातेदार होने से पाबंद कराने के हकदार है। अतः विवाद्यक संख्या 4 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित की जाती है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे भूमि प्रतिवादीगण के या उनके साबित खातेदारान के खातेदारी की रही हो। नामान्तकरण को वादी द्वारा धारा 88 आर टी एक्ट का दावा पेश होने पर अपील किया जाना आवश्यक नहीं होता है। अवैध इन्द्राज को धारा 88 आर टी एक्ट के तहत चुनौती दिये जाने का प्रावधान है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे वादी मंदिर जो शाश्वत नाबालिग है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

उसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त किये जाने पर वादी मंदिर के हक समाप्त होते हो। बल्कि मंदिर भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली काश्त काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 (25) के अनुसार नाबालिग की जमीन को कोई भी व्यक्ति काश्त करता है तब नाबालिग द्वारा ही काश्त मानी जावेगी। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में ऐसी कोई नजीर प्रस्तुत नहीं की है जो कृषि भूमि के संबंध में घोषणा खातेदारी व दखल व स्थाई निषधाज्ञा का वाद न्यायालय के सुनवाई योग्य नहीं हो। बल्कि कृषि भूमि का वाद सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार मात्र राजस्व न्यायलय को ही है। अतः विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 8 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। वादी द्वारा साबिक खातेदार कलुआ पुत्र शिब्बू, शिवलाल पुत्र शंकर एवं बुद्दु पुत्र किशन के वारिसान को दावे में पक्षकार प्रतिवादी नंबर 4 व 5 बनाया जा चुका है। अतः विवाद्यक संख्या 8 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 9 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। इस विवाद्यक के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि यह दावा वादीगण की ओर से वहैसियत प्रबंधक व नेक्स्ट फ्रेड की हैसियत से पेश किया गया है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग की और से कोई भी व्यक्ति यहां तक की दर्शनार्थी तक दावा पेश कर सकता है। वादी की ओर से हाल ट्रसटियों द्वारा अदालत की स्वीकृति से नेक्स्ट फ्रेड दर्ज किया गया है। अतः विवाद्यक संख्या 9 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 10 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में अपने अभिवचन भूमि खातेदारी की होने का एवं काबिज होने के दर्ज किये है।

उपखण्ड अधिकारी

जब खातेदारी का अभिवचन दर्ज है वहां प्रतिवादीगण ओपन होस्टाईल के आधार पर एडवर्स कब्जे का अभिवचन नहीं ले सकते है। क्योंकि एडवर्स कब्जा अवैध कब्जेधारी का मालिक के खिलाफ होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण दो अभिवचन अलग–अलग एक दूसरे के विरोधाभासी है। जिससे प्रकट होता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा बतौर ट्रेस पासर मानते है। तब वादी मंदिर शावश्त नाबालिग के खिलाफ किसी व्यक्ति का एडवर्स पजेशन नहीं माना जा सकता बल्कि नाबालिग का ही कब्जा माना जावेगा। अतः विवाद्यक संख्या 10 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 11 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। वादी की ओर से इस दावे में तहसीलदार को लैण्ड हॉल्डर की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादी की ओर से राज्य सरकार के विरूद्व कोई दादरसी दावा में नहीं चाही गई है। धारा 80 (2) के प्रावधान उक्त प्रकरण मे लागू नहीं होते है। अतः विवाद्यक संख्या 11 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 12 को साबित करने भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण के हक में किये गये वयनामें अवैध खातेदारों द्वारा किये गये है। जिससे क्रेता प्रतिवादी नंबर 1 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होत है। वयनामा प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर है। प्रतिवादीगण को कोई हक हकूक वयनामा प्रदर्श 14 ए व 15 ए से वादीग्रस्त भूमि प्राप्त नहीं होते है। प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक के संबंध में कोई काउन्टर क्लेम वयनामा की राशि वादी से प्राप्त करने का प्रस्तुत नहीं किया गया है और यह क्षेत्राधिकार भी न्यायालय हाजा को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः विवाद्यक संख्या 12 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 13 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 12 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जेकाश्त की होना पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–1 व मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–2 से साबित होता है एवं प्रदर्श ए–1 सेंटलमेंट खतौनी संवत 2015 में प्रतिवादी नंबर 1 के साबिक खातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

व उनके पितागण के हक में हुए अनाधिकार खातेदारी इन्द्राज विला आधार है। सेंटलमेंट विभाग को वक्त सेंटलमेंट सेंटलमेंट से पूर्व दर्ज इन्द्राज को बदलने का विधिक अधिकार नहीं है। बल्कि सेंटलमेंट से पूर्व दर्ज इन्द्राज को रिपिट करने का दायित्व है। वादी मंदिर शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी मंदिर वादग्रस्त आराजीयात की घोषणा अपने हक में कराने का एवं भूमि पर प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस दखल कराकर प्राप्त करने का एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का हकदार है। दावा वादी डिक्री किये योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादी को वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 204, 205, 213, 216 लगायत 223 व खसरा नंबर 410, 412 कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा एवं खसरा नंबर 202, 203, 207 लगायत 212, 214, 215, 224 कुल किता 11 कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा ग्राम कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 8 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के हक में राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रतिवादी नंबर 3 तहसीलदार, करौली को दिये जाते है एवं वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण से दखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण नहीं करे एवं आराजी की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें ना ही किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.5.26..... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)